

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

वेब साइट :- www.gnsr.ac.in

ई.मेल:- principal.npgcsr@gmail.com

क्रमांक: 2687/2024

रायपुर, दिनांक 26/09/24

// पुनर्गणना सूचना //

महाविद्यालय के बी.एस-सी. भाग 2/3 एवं बीसीए भाग 1/2/3 वर्ष-2024 के छात्र/छात्राओं, जिनके परीक्षा परिणाम दिनांक 19.09.2024 को जारी की गई है, वे छात्र/छात्राएँ पात्रता अनुसार दिनांक 30.09.2024 तक केवल पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं। शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है-

पुनर्गणना प्रति उत्तर पुस्तिका

- रू. 100/-

टीप:-

1. निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर छात्र शाखा से जाँच कराकर शुल्क लेखा शाखा में जमा करें।
3. पुनर्गणना के लिए आवेदन पत्र इस सूचना के साथ संलग्न है। जिसे विद्यार्थी प्रिंट कर उपयोग में ला सकते हैं।

नियंत्रक
स्वशासी परीक्षा प्रकोष्ठ

प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

1. छात्र शाखा / लेखा शाखा।
2. श्री टिकेन्द्र साहू को वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

प्राचार्य
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

B.No. 1509

(Rs. 20/-)

No.:



कार्यालय प्रचार्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

अंको का पुनर्गणना/उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम एवं पूर्ण पता :- _____
2. परीक्षा का नाम :- _____
3. वर्ष :- _____
4. अनुक्रमांक (रोल नं.) :- _____
5. पंजीयन/रजिस्ट्रेशन नं. :- _____
6. परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि :- _____
7. मोबाईल नम्बर :- _____

स.क्र.	विषय/प्रश्न पत्र जिसकी पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन कराना है	मूल प्राप्तांक	रिमांक

कुल प्रश्न पत्रों की संख्या -

(अंक सूची की छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाये)

परीक्षा नियमावली में वर्णित शर्तों को स्वीकार करता / करती हूँ एवं अनुपालन हेतु वचन देता / देती हूँ।

दिनांक / / 201

आवेदक के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग के लिये

कृपया रु. स्वीकृत किये जावें।

छात्र लिपिक के हस्ताक्षर

शुक्ल रु.

प्राचार्य / परीक्षा नियंत्रक,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

रसीद क्रमांक दिनांक के द्वारा प्राप्त किया।

लेखापाल